भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-270

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण संबंधी समस्याएं

***270. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः**

श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्र लंबे समय से पारेषण संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये समस्याएं अधिक विद्युत उत्पादन एवं विद्युत की अधिक मांग के कारण बढ़ी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारेषण एवं विद्युत क्षेत्र संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु अलग कोष की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने विद्युत प्रणाली विकास कोष हेतु प्रारूप विनियम जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त कोष के उपयोग का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित कोष कब तक सृजित/आरंभ किये जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"पारेषण संबंधी समस्याएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 270 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग एक लाख बाईस हजार सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें जोड़ी गई हैं। एक राष्ट्र-एक ग्रिड की ओर अग्रसर एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है जिससे संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों से भार केन्द्रों को विद्युत के अंतरण में सुविधा हुई है। इसके कारण, देश में व्यस्ततम विद्युत की कमी वर्ष 2011-12 के दौरान 10.6% से घटकर चालू वर्ष के दौरान लगभग 0.6% रह गई है। पावर एक्सचेंज में अधिकांश दिनों में एक मूल्य रहता है, जिससे यह पता चलता है कि पारेषण ग्रिड में कोई संकुलन नहीं है।

किसी विशेष समय में, विद्युत उत्पादन विद्युत ग्रिड में मांग के अनुरूप होना आवश्यक होता है और यह देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के कारण संभव होता है और इसके कारण पारेषण में कोई बाधा नहीं है।

(ग) : अभी तक पारेषण प्रणाली के विकास के लिए पृथक निधि पर विचार नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छोड़कर पारेषण प्रणाली के विकास के लिए निधियां प्रदान नहीं करती है क्योंकि प्रशुल्क नीति में की गई परिकल्पना के अनुसार, पारेषण प्रणाली का विकास सामान्यतया प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) विधि से किया जाता है।

(घ) : जी, हां। सीईआरसी ने दिनांक 24 मई, 2019 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 का प्रारूप सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए परिचालित किया है। विनियमों के प्रारूप में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और उनके कार्यान्वयन में अब तक प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए 9 जून, 2014 को जारी सीईआरसी (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 को रद्द करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 के प्रारूप में प्रचालन प्रक्रियाओं, समितियों के गठन, कार्यान्वयन तथा निगरानी तंत्र आदि में परिवर्तन करने की व्यवस्था है।

(ङ) : इस समय, यूटिलिटियों से प्राप्त स्कीमों के लिए मौजूदा सीईआरसी (पीएसडीएफ) विनियम, 2014 तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पीएसडीएफ दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पीएसडीएफ वित्तपोषण के लिए सिफारिश की जा रही है।

भारत सरकार की वर्तमान में प्रचालित पीएसडीएफ योजना में अब तक 11,282 करोड़ रुपये के स्वीकृत अनुदान सहित पीएसडीएफ वित्तपोषण के लिए 140 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

****